

अंतिम डिक्री व मुकदमें इबाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मेघा बनाम आपू

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 148/2024

पेश करने की दिनांक - 23.07.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 3493/2, 3729/2, 3761, 3806, 3819, 3830/2, 3852 रकबा क्रमशः 0.06, 0.28, 0.01, 0.39, 0.13, 0.5150, 0.06 का खातेदार वादी मेघा पुत्र बिरदा को हाल खसरा नम्बर 3493/1, 3724, 3729/1, 3730, 3731, 3772, 3779/7169, 3813, 3830/1, 3834, 3843 रकबा क्रमशः 0.59, 0.30, 0.10, 0.56, 0.18, 0.19, 0.14, 0.36, 1.1150, 0.46, 0.04 का खातेदार प्रतिवादीगण आपू देवी पत्नी भागचन्द 1/15, कुलदीप पुत्र हेमराज 1/15, कविता पुत्री गोपाल 1/45, ना.बा. जरिये संरक्षिका माता मीरा, सोनू पुत्र गोपाल 1/45 ना.बा. जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मीरा, जनता पत्नी हेमराज 1/15, तेजू पुत्र भागचन्द 1/15, पूजा पुत्री हेमराज 1/15, माया पुत्री हेमराज 1/15, माया पुत्री भागचन्द 1/15, मीरा पत्नी गोपाल 1/45, शैतान पुत्र भागचन्द 1/15, मोनिका पत्नी शौकिन 1/15, सुरेशचन्द पुत्र कालू 1/3 समस्त जाति रावत नि. देराठू को घोषित किया जाता है। बैंक इन्द्राज पूर्व अनुसार रहेगा। खसरा नम्बर 3830/7506 शामलाती खाते में रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 8 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद